उच्चतम न्यायालय के द्वारा जुलाई ***2013*** में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम***, 1951*** की धारा ***8 (4)*** को रद्द करके इसे अधिकातीत (अल्ट्रा वायर्स) घोषित किया गया तथा यह निर्णय दिया गया कि दोषसिद्धि की तारीख से ही अयोग्यता शुरू होती है।

दलबदल के आधार पर निरर्हता

किसी व्यक्ति को राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दलबदल के आधार पर निरर्ह हो।

दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के प्रश्न पर **विधान परिषद के मामले में सभापति** के द्वारा तथा **विधान सभा के मामले में उसके अध्यक्ष (राज्यपाल के द्वारा नहीं)** के द्वारा निर्णय लिया जाता है।

उच्चतम न्यायालय के द्वारा *1992* में यह फैसला सुनाया गया कि इस संबंध में सभापति/अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

दलबदल विरोधी कानून

52 वें संशोधन अधिनियम के द्वारा ***1985*** में संविधान में दसवीं अनुसूची का प्रावधान किया गया था।

इसके द्वारा उस प्रक्रिया का गठन किया गया जिसके द्वारा सदन के किसी अन्य सदस्य की याचिका के आधार पर विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी द्वारा दलबदल के आधार पर विधायकों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

दलबदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में ऐसे प्रश्नों को संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति के पास भेजा जाता है तथा उनका निर्णय अंतिम होता है।

यह कानून संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों पर लागू होता है।

शपथ या प्रतिज्ञान

- **अनुच्छेद *164 (3)*** में कहा गया है कि किसी मंत्री के अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले **राज्यपाल** के द्वारा उसे **तीसरी अनुसूची** में निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी जाएगी।

वेतन तथा भत्ते

- राज्य विधानमंडल के सदस्य वैसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होते हैं, जैसा कि समय-समय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है।

स्थानों का रिक्त होना

निम्नलिखित मामलों में, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपना पद छोड़ता है:

दोहरी सदस्यता	**एक व्यक्ति एक ही समय में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता।**
निरर्हता	राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य यदि निरर्ह पाया जाता है, तो उसका पद रिक्त हो जाता है।
त्यागपत्र	कोई सदस्य अपना लिखित त्यागपत्र विधान परिषद के मामले में सभापति या विधान सभा के मामले में अध्यक्ष को दे सकता है। त्यागपत्र स्वीकार होने पर उसका पद रिक्त हो जाता है।
अनुपस्थिति	राज्य विधानमंडल के किसी सदन के द्वारा किसी सदस्य के पद को तब रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह बिना पूर्व अनुमति के 60 दिन तक बैठकों से अनुपस्थित रहता है।
अन्य मामले	यदि न्यायालय के द्वारा उसके निर्वाचन को अमान्य ठहरा दिया जाता है।